न्यायालय ACM अलौर

भगवान सहाय **बनाम** विरेन्द्र

मुकदमा संख्या /वर्ष विविध प्रा०पत्र 151 व 152 cpc 107 /2015
प्रा०प० 5/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/4/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित है कि मूल प्रकरण 107/2015 उनवानी भगवान सहाय बनाम विरेन्द्र की अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13-4-2018 को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार किया गया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट में सरवन से कुन संख्या 4 में वर्णित खातेदारों का खातेदारी हिस्सा 1/4 भाग दर्ज जमाबन्दी था। लेकिन उक्त निर्णय में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार फुली देवी पत्नी भैरू, नानगराम, सांवरमल पुत्रान भैरू हिस्सा 1/2, लहका पत्नी गोवर्धन, महेश, घनश्याम पिता गोवर्धन हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया जो हिस्सा गलत दर्ज हुआ, जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार फुली देवी पत्नी भैरू, नानगराम, सांवरमल पुत्रान भैरू, हिस्सा 3/4 व लहका पत्नी गोवर्धन, महेश, घनश्याम पुत्रान गोवर्धन हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए था।	

सहायक कलेक्टर
[illegible]

भगवान सहाय बनाम विरेन्द्र

~~184/2016~~ 5/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		इसके प्रार्थना पत्र व मूल पत्रावली का अवलोकन किया। वाद दिनांक 8-6-2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया तदउपरान्त आदेश की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा 26/2/2018 को न्यायालय हाजा के कुर्रेजात प्रस्ताव प्रेषित किया। उभय पक्ष को कुर्रेजात आपत्ति पर पूर्व में कई अवसर दिये गये तथा दिनांक 13-4-2018 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी अन्तिम डिक्री किया गया। वाद अन्तिम डिक्री से पूर्व व दौराने बहस उभय पक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा लगभग 4 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय डिक्री में संशोधित चाहा गया है जो कि उचित नहीं है तथा वाद अन्तिम डिक्री कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर किया गया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार आमेर द्वारा प्रेषित की गई है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रा०पत्र संलग्न मूलवाद रहे। सहायक कलक्टर आमेर प्र० जयपुर	